न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 19/2018 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00068

उनवान

1. श्रीमती लीला पत्नी ज्वान सिंह
2. श्रीमती मीरा पत्नी निर्भय सिंह
3. श्रीमती समन्दर पत्नी गोविन्द सिंह

} जाति गुर्जर नि0 चॉदौली तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती मीरा पुत्री ईश्वरिया पत्नी हरी सिंह जाति गुर्जर निवासी सिगरोई तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. श्रीमती वीकेश पुत्री ईश्वरिया पत्नी बृजलाल जाति गुर्जर निवासी चिल्लीपुरा नगर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
3. ईश्वरिया पुत्र धनपाल जाति गुर्जर निवासी खुडासा तहसील रूपवास जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर उच्चैन दिनांक 20.02.2018 उनवानी मीरा बनाम ईश्वरिया मु0न0 10/2017

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 13.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 20.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 03 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम खुडासा तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के बाबा धनपाल सिंह की छोडी हुयी आराजी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हुयी आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण को जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जबकि अप्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम न्यारान्यूर दर्ज करा लिया है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थी विवादित आराजी को रहन, वय, मुन्तकिल करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये विवादित आराजी में प्रार्थीगण के बनने वाले नोशनल शेयर तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अपीलाण्ट ने विवादित भूमि को अपीलाण्ट्स के द्वारा दिनांक 05.07.2008 को उसके रिकार्डेड खातेदार रैस्पो0 नं0 03 से उसकी खातेदारी एवं मौके पर कब्जा देखकर उसकी बाजारू कीमत मुव0 1625700 रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करके मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलाण्ट विवादित आराजी के सद्भावी क्रेतागण हैं एवं विक्रय की दिनांक से विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। अतः अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। यह है कि अपर न्यायाधीश संख्या 2 बयाना में वयनामा निरस्त कराने हेतु रैस्पो0 ने दावा किया। जिसमें उन्होंने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें माननीय न्यायालय ने विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा काश्त माना है। वक्त विक्रय से रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं ना ही रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे विवादित आराजी पैतृक साबित होती हो। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। रैस्पो0 को विवादित आराजी में जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा उनके वयनामा का नामान्तकरण भी नहीं खोला है। विवादित आराजी पैतृक है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी में रैस्पो0 संख्या 01 व 02 के बनने वाले नोशनल शेयर तक ही स्थगन जारी किया गया है। सिविल कोर्ट को दावा सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है तो कब्जा कैसे माना जावेगा। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी दिनांक 05.07.2008 को उसके रिकार्डेड खातेदार रैस्पो0 संख्या 03 से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा 1625700 रूपये में क्रय की है। अतः अपीलाण्ट विवादित आराजी के सद्भावी क्रेतागण हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इसके अलावा रैस्पो0 संख्या 01 व 02 के भाईयो ने माननीय अपर न्यायाधीश संख्या 02 बयाना में उक्त वयनामा को निरस्त कराने हेतु दावा एवं साथ में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र, अपीलाण्टस को पाबन्द कराने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षो की बहस सुनकर खारिज कर दिया। जिसकी अपील भी हुयी। परन्तु वह भी खारिज हो चुकी है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि रैस्पो0 संख्या 01 व 02 के पिता द्वारा विवादित आराजी को दिनांक 05.07.2008 को जरिये वयनामा क्रय करना बताया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य बाबत् कोई विवेचना अपीलाधीन आदेश में नहीं की है एवं सरसरी तौर पर विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति मानते हुये, प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनो महत्वपूर्ण घटको की विवेचना ना करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो किसी प्रकार स्थिर रहने योग्य नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय दिनांक 20.02.2018 अपास्त किये जाकर, इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये एवं पक्षकारो को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, गुणावगुण पर अधिकतम दो माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर